during the past few years. So far as alerting the staff for becoming more vigilant is concerned, we have been constantly impressing upon them this point. They are also doing their best to improve the situation.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, श्री ए० पी० शर्मा, की शिकायत क्या है ?

श्री अ० प्र० शर्मा : मुझे इत्तिला दी गई थी कि मेरे कालिंग एटेन्शन नोटिस को डिस-एलाऊ कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मगर क्या आपने आज का एजेन्डा देखा नही था ?

श्री अ० प्र० शर्मा : आज का एजेन्डा नही देखा ।

अध्यक्ष महोदय : आपने एजेन्डा नहीं देखा और शिकायत कर रहे है । अब आप सवाल करें ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मै यह जानना चाहता हूं कि जो कालिजन हुआ है, वह कैसे हुआ है— क्या एक लाइन पर गाड़ी थी और उसी लाइन पर दूसरी आ गई या साइड कालिजन हुआ है ।

डा० राम सुभग सिंह : मालगाड़ी का इंजिन शंटिंग कर रहा था और वहां पर दूसरी गाड़ी आ गई । इसलिए वह कालिजन हो गया ।

श्री अ० प्र० शर्मा : उसी लाइन पर आ गई ?

डा० राम सुभग सिंह : वहीं पर ।

—

12.03 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE
(*Query*)

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षक प्रस्ताव है झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवा) : छः सौ लोगों को उजाड़ा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इस तरह नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री बागड़ी : **

श्री हुकम चन्द कछवाय : **

श्री मौर्य (अलीगढ़) **

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं आयेगा

मैंने मेम्बर साहबान से एक, दो, दस, बीस दफ़ा नहीं, बल्कि पचास दफ़ा कहा है कि इस तरह काम चलने में बहुत रुकावट होती है । अगर मैं किसी सवाल या प्रस्ताव को नामंजूर करता हूं और किसी माननीय सदस्य को उसके बारे में शिकायत है, तो वह मुझे लिखें । मै फिर उसके बारे में सोचने के लिए तैयार हूं । लेकिन अगर चार पांच सदस्य इस बात की कोशिश करेंगे कि इस तरह प्रैशर लाकर यहां पर मेरा वह फ़ैसला बदलवा लें, तो ऐसा नहीं हो सकेगा । मैं अपना फ़ैसला इस तरह नहीं बदल सकता हूं । अगर किसी माननीय सदस्य को शिकायत है, तो वह मुझे लिखें । मैं उनकी बात को बड़े अदब और पूरे ध्यान से देखूंगा । लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि माननीय सदस्यों से इत्तिफ़ाक करूं । आखिर जो फ़ैसला होगा, उसको मानना होगा । मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि इस तरह से हाउस में बिज़िनेस नहीं चल सकता है । मेरे पास 36 नोटिसज़ आए है । अगर 36 के 36 मेम्बर खड़े हो कर एक एक मुझ से जवाब मांगना शुरू कर दें कि आपने मेरा क्यों नामंजूर किया है, उसको क्यो नही लिया जा रहा है, तो किस तरह से काम चल सकता है । तब तो सारा दिन इसी में चला जाएगा । इस तरह से कारंवाई नहीं चल सकती है । अगर आपको कोई शिकायत है मेरे

** Not recorded.

[अध्यक्ष महोदय]

फैसले के खिलाफ, तो मुझे लिख दीजिए कागज पर, मैं उसको देख लूंगा । यह नहीं होगा कि इस तरह से यहां खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया जाए ।

श्री मौर्य : एक शब्द मुझे कह लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरों से मैं कह रहा हूं कि वे न कहें तो आप को कैसे मैं . . .

श्री मौर्य : इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और अपनी बात कह कर ही बैठते हैं और उनको इजाजत भी मिल जाती है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप भी ऐसा ही करो । उनके लिए मेरे पास जो इलाज है वही आपके लिए भी है ।

श्री मौर्य : मैं आपकी आज्ञा के बिना एक शब्द भी नहीं कहता हूं । आप आज्ञा दें तो एक शब्द कहूं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले जब आज्ञा नहीं दी थी तो आप भी तो बोलते रहे थे । यह आप किस तरह से कहते हैं कि आप बिना आज्ञा एक शब्द भी नहीं बोलते हैं । दूसरे बोल रहे थे और आप भी बोल रहे थे ।

श्री मौर्य : आपकी आज्ञा मान कर मैं बैठ गया था ।

अध्यक्ष महोदय : कहिये क्या कहना चाहते हैं ।

श्री मौर्य : इस सदन में यह कहा गया था कि सन् 1962 से पहले जो झुग्गी झोंपड़ियां बन गई थीं उनको नहीं तोड़ा जाएगा । इसके बारे में खन्ना साहब ने यहां एश्यो‍रेंस भी दिया था । इसके बारे में बड़ा झगड़ा हुआ था । लेकिन आप देखें कि दस बरस पहले जो झुग्गी झोंपड़ियां बन गई थीं उनको तोड़ा जा रहा है । पांच सौ आदमी पीटे गए हैं, बच्चे पीटे गए हैं । उसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत झगड़ा बढ़ सकता है । मेरी आप से प्रार्थना यह है कि इसके बारे में कालिंग एटेंशन नोटिस ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये बल्कि इस पर यहां बहस होनी चाहिये । झूठ बोला गया है इस सदन में । जब एक बार यहां सदन में इस तरह की बात कह दी गई थी तो इस तरह की कारंवाई क्यों हो रही है । मेरा केवल कहना यह है कि कालिंग एटेंशन नोटिस से काम नहीं चलेगा, यह नोटिस जो ध्येय है उसको पूरा नहीं कर पाता है । इस पर बहस होनी चाहिये । जो वादा किया था उसके खिलाफ क्यों अब वे जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह से बहस हो सकती है, आप ही कहिये । क्या यह तरीका है कि इस तरह से बहस हो जाए ?

श्री बागड़ी : आप हमारे रहनुमा हैं । आप ही कोई रास्ता बताइये । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पांच सौ घरों को उजाड़ा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : रहनुमा पड़ी है यह किताब ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं । रौब डालने की कोई बात हमारी तरफ से नहीं हो सकती है । किसी का कोई झगड़ा नहीं है । हर आदमी और मैं भी आपके हुकम की तामील करता हूं, उम्र के लिहाज से भी और सदन के लिहाज से भी । इसलिए रौब का तो कतई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है । आप से जनता के हित की बात कहलवाई जा सकती है । आपको ही जनता की बात सुना सकते हैं और आप सुन सकते हैं । सिर्फ तरीके का भेद हो सकता है । आप शायद यह चाहते हैं कि यहां खड़े हो कर न कहा जाए । मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह लोक सभा है, जनता के प्रतिनिधियों की सभा है और यहां जनता की आवाज आनी चाहिये,

गरीबों की आवाज आनी चाहिये । इसलिये आपके ऊपर रौब डालना तो मैं बेइज्जती समझता हूं अपनी भी और इस सदन की भी। अगर हजारों आदमी और औरतें इस तरह से उजाड़ी जाएं

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, क्या सारी तकरीर मुझे सुननी पड़ेगी ।

श्री बागड़ी : मैं तो केवल . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर बोलते चले जाते हैं तो बन्द कर दिया जाए लिखना ।

श्री बागड़ी : **

अध्यक्ष महोदय : आपने कह लिया है, अब आप बैठेंगे या नहीं । अगर मैंने आपकी बेइज्जती की है, तो मैं आप से माफी चाहता हूं । लेकिन अब आप बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : एक दिन मैंने एक शब्द कहा था कि यह मुगल दरबार नहीं है, लोक सभा है, यहां जनता की आवाज . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप रुकावट डाल रहे हैं कार्रवाई में ।

श्री बागड़ी : अगर गरीबों की बात कहना रुकावट डालना है, तो रुकावट ही सही ।

श्री अ० प्र० शर्मा : बाहर निकाला जाए ।

श्री बागड़ी : लोक सभा के अन्दर गरीबों की बात कही जाएगी । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा । जहां तक उन लोगों का सम्बन्ध है . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी दफा कहने के बावजूद भी बागड़ी साहब ने मेरी बात नहीं मानी है और यह दावा करना चाहते हैं . . .

श्री मौर्य : बैठ तो गए है । आपका कहा मान तो लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहे नहीं बैठे है । मौर्य साहब के कहने पर बैठे है । आप वहां गए थे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : आपकी आज्ञा से बैठे हैं ।

एक माननीय सदस्य : वे नहीं गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : अगर गरीबों की आवाज और उनका दुख कहने के लिए बागड़ी साहब के दिल में दर्द है तो और भी बहुत से मैम्बर हैं जिनके दिल में बराबर का दुख और दर्द है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : उनसे ज्यादा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर सारा हाउस इस तरह से गरीबों की बात कहने के लिए खड़ा हो जाए तो कैसे काम चल सकता है । एक ही आदमी दुख दर्द लेकर यह कहे कि मैं जरूर उसे कहना चाहता हूं तो यह तो कोई कायदा नहीं है । हर एक आदमी जिस चीज को महसूस करे और खड़ा हो जाए और बोलना बोलता चला जाए तब तक जब तक कि उसकी तसल्ली न हो जाए और बन्द ही नहो तो कैसे काम चल सकता है । अगर पांच सौ के पांच सौ मम्बर हाउस के इस तरह से उठते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गरीबों की आवाज . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अब तो बैठ गए हैं ।

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER DEFENCE OF INDIA RULES AND ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): I beg to lay on the Table—

(1) a copy each of the following Notifications issued under

** Not recorded.